संख्याः 843 /उन्तीस/17–2(23पे0)/2017

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. निदेशक,
परियोजना प्रबन्धन इकाई,
स्वजल परियोजना
2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून
3. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 15 जून, 2017

विषयः उत्तराखण्ड राज्य मे पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन एवं जल स्रोतों के पुनरूद्धार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित पूर्व निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों को सन्दर्भित करते हुये राज्य के अन्तर्गत पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन एवं जल स्रोतों के पुनरूद्धार हेतु अवगत कराना है कि–

शासनादेश संख्या–1023/उन्तीस/2(05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005
शासनादेश संख्या–703/उन्तीस/17–2(21पे0)/2017 दिनांक 22 मई, 2017

1. राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी0 एवं स्थलाकृति मुख्यतः बर्फीले एवं खड़ी ढ़लान के साथ पहाड़ी क्षेत्र है। बरसात के मौसम में भारी वर्षा एवं सर्दियों के मौसम में हिमपात के बावजूद भी गर्मियों के मौसम में स्थानीय नदी/नालों में पानी का प्रवाह काफी कम हो रहा है एवं पारम्परिक स्रोत भी सूख रहे

* यह सार्वभौमिक सत्य है कि मौलिक रूप से मानव हित में पानी एक परिमित एवं अपूरणनीय साधन है। पहाड़ी क्षेत्रों में केवल 15 प्रतिशत वर्षा का पानी ही रिसकर जल स्रोतों के पुर्नभरण के काम आता है। अवशेष सतही पानी के रूप में बह जाता है। वर्षा की प्रकृति में बदलाव, तीव्रता की वृद्धि एवं शीत कालीन वर्षा में महत्वपूर्ण गिरावट भी एक कारण है। उक्त परिवर्तनों के प्रभाव से ही पानी के जल स्रोतों का प्रवाह निरन्तर कम हो रहा है। राज्य में धारें/पनेरे यतः प्राथमिक जल स्रोत का संग्रहण/संकलन करते हैं। इन प्राथमिक प्राकृतिक जल स्रोतों

का नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन ही स्रोत पुनरूद्धार कार्यक्रम है। पानी के प्राकृतिक स्रोतो का गठन, सतह पर बहने वाले पानी की रोकथाम कर भूजल पुर्नभरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हिमालय, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में लाखों लोगो को पानी उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश पर्वतीय एवं पहाडी क्षेत्रो मे पीने एवं घरेलू उपयोग हेतु पानी उथले कुओं अथवा धारा/पनेरो से प्राप्त किया जाता है। इन जल स्रोतो के प्रवाह में निरन्तर कमी आ रही है।

2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–698/उन्तीस/17–2(23पे0)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान जल संकट के न्यूनीकरण हेतु दिनांक 25 मई, 2017 को जल दिवस के रूप में मनाये जाने एवं तदोपरान्त जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्द्धन के निमित्त विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण कार्य हेतु विभागों को निर्देशित किया गया। प्रदेश में निरन्तर हो रहे पेयजल संकट के निवारण हेतु पेयजल स्रोतो के पुनरूद्धार के लिए निम्न कार्यवाही अपेक्षित है–

क) प्रथम चरण में स्वजल परियोजना द्वारा 100 जल स्रोतों के पुनरूद्धार का कार्य किया जायेगा। प्रथम चरण के कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त स्रोतों के पुनरूद्धार के कार्यो को व्यापक रूप से किया जायेगा। उक्त व्यय को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के स्थायित्व घटक के तहत भारित किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के अनुसार *'a maximum 10% of the NRDWP funds will be earmarked for this component on a 90% Central share basis to be allocated among States/UTs, which will be used to encourage States/UTs to achieve drinking water security sustainability of sources and systems. States will be required to prepare district wise Drinking Water Security Plan and funds under NRDWP will be used to fund the gap in the plan.'*

ख) जनपदों में स्रोत संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाईयों द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद में अवस्थित उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान के प्रखण्डों से समन्वय स्थापित करते हुए स्रोतो का चिन्हीकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

ग) जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं पुनरूद्धार हेतु स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन कर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों द्वारा विस्तृत परियोजना प्राक्कलन (डी0पी0आर0) तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 तैयार करने के पश्चात जनपद में पूर्व में गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में विस्तृत परियोजना प्राक्कलन (डी0पी0आर0) पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

घ) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना द्वारा स्रोत संरक्षण संवर्द्धन, स्रोत मैपिगं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन इत्यादि कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं (गैर सरकारी संस्थाये) के चयन हेतु सूचीवद्ध (Empanel) किये जाने का कार्य गतिमान है। स्रोत संरक्षण, संवर्द्धन एवं पुनरूद्धार कार्यो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में उक्त सहयोगी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

ड़) राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जलागम परियोजना तथा ग्राम्य विकास विभाग के अधीन कियान्वित मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत भी वानिकी कार्य किये जा रहे हैं। जनपद में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के विस्तृत परियोजना प्राक्कलन (DPR) तैयार करते समय सम्बन्धित विभागों से भी यथासम्भव युगपितीकरण (convergence) करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः तद्नुसार चिन्हित स्रोतो का भौतिक सर्वेक्षण उपरान्त प्राक्कलन (DPR) तैयार कर सम्बन्धित जनपद के जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए दिनांक 30 जून, 2017 से पूर्व कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
प्रभारी सचिव

पृ0सं0 843 (1)/उन्तीस/17–2(23पे0)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना प्रबन्धक, समस्त डी0पी0एम0यू0, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव